लेखकों को दी गई रायल्टी की दर

2171. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की गई विभिन्न पुस्तकों के लेखकों को भाषा-वार कितनी-कितनी रायल्टी की राशि दी गई है ;

(ख) दी गई रायल्टी की दर क्या है और कब निर्धारित की गई थी ;

(ग) क्या इस दर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रकाशन विभाग में प्रकाशित विभिन्न पुस्तकों के लेखकों को अदा की गई रायल्टी की राशि का भाषावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) प्रकाशन विभाग द्वारा मूल लेखन के लिए 15% की समान दर से रायल्टी प्रदान की जाती है । यदि लेखक पुस्तक का स्वयं अनुवाद करता है तो यह विभाग प्रकाशनों के सभी अनूदित संस्करणों पर भी 15% रायल्टी देता है । यदि अनुवाद किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाता है तो मूल लेखक को रायल्टी के रूप में केवल $7\frac{1}{2}$% राशि दी जाती है । ये दरें 1970 में निर्धारित की गई थीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) ऐसा महसूस किया जाता है कि रायल्टी की दरें पर्याप्त हैं तथा इनमें संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसे ही अन्य संगठन इन्हीं दरों पर रायल्टी अदा कर रहे हैं ।

विवरण

क्र.सं.	भाषा	1988-89 रुपये	1989-90 रुपये	1990-91 रुपये
1.	अंग्रेजी	122940.00	88095.00	55108.00
2.	हिन्दी	197549.00	202030.00	534256.00
3.	मलयालम	6265.00	903.00	46169.00
4.	पंजाबी	1824.00	585.00	951.00
5.	तमिल	49.00	27.00	427.00
6.	तेलुगु	324.00	1111.00	2155.00
7.	कन्नड़	382.00	277.00	214.00
8.	बंगला	542.00	168.00	9000.00
9.	मराठी	1820.00	2524.00	2046.00
10.	गुजराती	11.00	3.00	28.00
11.	असमिया	85.00	39.00	159.00
12.	उड़िया	121.00	21.00	27.00
13.	उर्दू	214.00	301.00	शून्य